न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर ऐक्ट, जौनपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–101/2026

सी०एन०आर०–UPJP010010862026

मोहित सिंह उर्फ विवेक कुमार सिंह उ०त० 36 वर्ष पुत्र अशोक कुमार सिंह, निवासी ग्राम भलुवाही, थाना बदलापुर, जिला जौनपुर।

– **आवेदक/अभियुक्त**

–बनाम–

1–उ०प्र० सरकार जरिए जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।

–विपक्षी।

मु०अ०सं०–44/2026,
धारा–3(1)उ०प्र०गिरोहबन्द समाज विरोधी
क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986
थाना–बदलापुर, जनपद–जौनपुर।

दिनांक–07.03.2026

1– आवेदक/अभियुक्त मोहित सिंह उर्फ विवेक कुमार सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह, निवासी ग्राम भलुवाही, थाना बदलापुर, जिला जौनपुर की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–44/2026, अंतर्गत धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर के प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि वादी मुकदमा ने राजनीतिक दबाव में गलत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर दिनांक अज्ञात को समय अज्ञात के बाबत थाना बदलापुर पर तहरीर दी, जिसके आधार पर थाना बदलापुर पर मु०अ०सं०–44/2026 अन्तर्गत धारा–3(1)गैंगस्टर ऐक्ट में प्राथमिकी दिनांक 04.02.2026 को समय 21.30 बजे थाना बदलापुर पर पंजीकृत हुई जो बिल्कुल बेबुनियाद एवं असत्य है। आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, कभी किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक के चन्द दुश्मनान पुलिस थाना बदलापुर को जेरे असर कर मिथ्या तथ्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त कायम कराया है, जो आधारविहीन है। पुलिस द्वारा दर्शाये गये गैंग चार्ट में मात्र 4 मुकदमे दर्ज है, जो मिथ्या अभिकथनों एवं राजनैतिक दबाव में दर्ज कराये गये हैं। आवेदक उक्त चारों मुकदमों में माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर है तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश का पूर्णतः पालन कर रहा है। जमानत आदेश में दिये गये आदेशों–निर्देशों का कभी उल्लंघन नहीं किया है और न ही जमानत का दुरुप्योग ही किया है। उपरोक्त चारों मुकदमों में अंकित होने के पूर्व व पश्चात् आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा अंकित नहीं हुआ है। उ०प्र० गिरोह बन्द अधिनियम का मुकदमा स्थापित करने हेतु गैंगस्टर ऐक्ट की धारा–2 व 3 ही मुख्य आधार है, जो पुलिस द्वारा दौरान विवेचना विवेचक को किसी स्रोत से नहीं मिली। विवेचक महोदय भौतिक सत्यापन हेतु तहसीलदार बदलापुर व सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा प्रबन्धक के०जी०एस०जी०

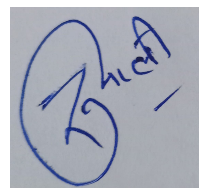

Digitally signed by ROOPALI SAXENA
Date: 2026.03.07 16:34:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

बैंक बदलापुर बैंक जौनपुर एवं अन्य बैंकों से चल–अचल सम्पत्ति के बारे में आख्या मांगी गई तो तीनों अधिकारियों आवेदक के नाम से कोई चल–अचल सम्पत्ति होने से इन्कार किया। इन तथ्यों के आधार पर भी आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध 3(1) यू०पी० गैंगस्टर ऐक्ट का अपराध आयत नहीं होता। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सुस्थापित विधि है कि, गैंगस्टर ऐक्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त द्वारा दी जा सकती है और न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई की जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 438 जाप्ता फौजदारी में संशोधन किया गया था कि गैंगस्टर ऐक्ट में अग्रिम जमानत की सुनवाई नहीं हो सकती, परन्तु बी०एन०एस०एस० जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू की गई है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित कानून शून्य समझा जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित विधि श्रेष्ठ मानी जाएगी। प्रार्थी की ख्याति और इज्ज़त तथा प्रार्थी के भविष्य को बर्बाद करने की नियत से फर्जी ढंग से मुकदमें में फंसाया जा रहा है। प्रार्थी प्रकरण से सम्बन्धित किसी भी पुलिस अधिकारी /विवेचक अथवा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा तथा मुकदमें में सहयोग के दृष्टि से उनके द्वारा जो भी अपेक्षा की जाएगी, उसका सम्यक अनुपालन करेगा और स्वयं से उनके समक्ष उपलब्ध होगा। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि, पुलिस द्वारा प्रार्थी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सकें। आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा तथा अन्य कोई भी शर्त जो माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान करते समय अधिरोपित की जाएगी। प्राथर्थी उसका पालन करेगा। आवेदक द्वारा अग्रिम जमानत से सम्बन्धित कोई भी याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं की गई है और न ही विचाराधीन है। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार पुलिस अधिकारी द्वारा या सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी को गिरफ्तार किए जाने पर प्रार्थी उचित जमानत देने हेतु तैयार है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण में प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई है।

3– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नवत विधि व्यवस्था Tatheer Jafri & Ors. vs. State of U.P. (2025) 4 ILRA 738 दाखिल किया गया है। उपरोक्त विधि व्यवस्था का सादर अवलोकन किया। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय से अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की गयी है।

4– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा अपराध को गम्भीर प्रकृति का बताते हुए तथा गैंगेटस्टर के मामले में अग्रिम जमानत न दिये जाने का प्रावधान होने के कारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 04.02.2026 को मैं प्रभारी निरीक्षक शेष कुमार शुक्ला मय हमराहियान थाना हाजा के रो०आम की रपट संख्या 36 समय 10.14 बजे बिनावर बयान अंतर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस० अपहृता से मु०अ०सं०–408/25 माननीय न्यायालय से चलकर थानाक्षेत्र वापस आा तो जनता के विश्वसनीय व्यक्तियों से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सुधीर सिंह उर्फ सुड्डू, अनुराग उर्फ अन्नू सिंह, अनुज सिंह उर्फ विक्की, जतिन सिंह उर्फ ओजू, मोहित सिंह उर्फ विवेक सिह, उत्तम सिंह, राजेश सिंह उर्फ राजू, फक्कड़ सिंह उर्फ राजेश, मोनू सिंह उर्फ बाबा उर्फ शुभम सिंह, शुभम शुक्ला उर्फ मालर, विशाल सिंह, नितेश सिंह उर्फ भोलू का एक संगठित गिरोह है, जिसका सरगना सुधीर सिंह उर्फ सुड्डू स्वयं है। गैंग सरगना सुधीर सिंह उर्फ सुड्डू उपरोक्त अपने एवं

अपने गिरोह के सदस्यों के लिए आर्थिक भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु भारतीय दण्ड विधान के अध्याय 16 व 17, 22 के अंतर्गत वर्णित अपराध कारित करने के अभ्यस्त है। थाना हाजा के अभिलेखों के अनुसार गैंग लीडर व सदस्य के विरूद्ध थाना स्थानीय में अपराध से सम्बंधित अभियोग मु०अ०सं०–451/2024 धारा–191(2), 191(3), 190, 103(1), 61(2)क, 352, 351(3), 333, 3(5) बी०एन०एस० तथा अभियुक्तगण सुधीर सिंह उर्फ सुड्डू, जतिन सिंह उर्फ ओजू, मोहित सिह उर्फ विवेक सिंह, राजेश सिंह उर्फ राजू के विरूद्ध थाना बदलापुर में मु०अ०सं०–347/2023, धारा–323,325,452,504 भा०दं०सं० का अभियोग पंजीकृत किया गया है जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य द्वारा कारित की गयी घटना से गांव व आस–पास के क्षेत्रों में अत्यधिक रोष व्याप्त है जिनका क्षेत्र में काफी भय व आतंक व्याप्त है। उक्त गिरोह द्वारा किया गया अपराधिक कृत्य गम्भीर प्रकृति का है।

7– आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अपने गैंग एवं सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र के तहत घातक हथियारों से लैस होकर दंगा तथा हत्या जैसे गंभीर अपराध करने का अभियोग है। मामला उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बंधित है। हस्तगत प्रकरण के तथ्य गम्भीर है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त मोहित सिंह उर्फ विवेक कुमार सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह, निवासी ग्राम भलुवाही, थाना बदलापुर, जिला जौनपुर द्वारा मु०अ०सं०–44/2026, धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–07.03.2026

(रूपाली सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश पंचम/
विशेष न्यायधीश गैंगेटस्टर ऐक्ट
जौनपुर।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 1524